# सड़कों के रखरखाव को सरकार ने बनाई पॉलिसी

- पथ निर्माण व ग्रामीण कार्य दोनों की सड़कें लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून के अधीन
- सीएम नीतीश ने कहा-दोषी अभियंताओं पर की जाएगी विभागीय कार्रवाई हर हाल में रखना होगा रख रखाव 105 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की स्थापना दिवस पर कई योजनाओं का रिमोट से उद्घाटन करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। साथ में हैं उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव व अन्य पदाधिकारीगण ● जागरण

**राज्य ब्यूरो, पटना :** मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कहा कि सड़कों के निरंतर रखाव के लिए सरकार ने पॉलिसी बना दी है। रखरखाव नहीं करने के दोषी पर विभागीय कार्रवाई होगी। कहीं भी सड़क खराब दिखे तो तुरंत शिकायत की व्यवस्था है। सरकार ने पथ निर्माण व ग्रामीण कार्य विभाग दोनों की सड़कों को लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून की परिधि में ला दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय स्थित संवाद कक्ष में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के 44वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने यह बात कही। इस मौके पर उन्होंने 492.25 करोड़ की 48 परियोजनाओं का उद्घाटन व 105.25 करोड़ रुपए की पांच परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी व पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण अच्छी गुणवत्ता और समय सीमा के भीतर होना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि उसका रखरखाव हो। रखरखाव के लिए हर क्षेत्र में नीतियां बना दी गई हैं। यह जरूरी है कि जैसी सड़क हम बनाते हैं वह हमेशा उसी तरह दिखे। अब तो सभी सरकारी भवनों के रख रखाव के लिए मेंटेनेंस पॉलिसी तैयार की जा रही है। पर्यावरण को ध्यान में रख वृक्षारोपण के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी में लोहिया पथ चक्र के निर्माण के दौरान बेली रोड में पेड़ काटे गए। काटे गए पेड़ से तीन गुना अधिक पौधरोपण को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले शराब पीकर वाहन चलाने से सड़क दुर्घटनाएं होती थीं और अब अच्छी सड़क की वजह से हो रही है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ब्लैक स्पॉट को चिन्हित किया जा रहा है। अंडरपास बनाए जाने की बात हो रही। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर गोपालगंज के डीएम अनिमेष पराशर, सारण के डीएम सुब्रत सिंह, दरभंगा के पूर्व डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह, पेसू के जीएम दिलीप कुमार व सोनपुर के डीसीएलआर शिवरंजन कुमार सहित कई इंजीनियरों व निर्माण एजेंसी को सम्मानित किया। मुख्य सचिव दीपक कुमार, पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष जितेंद्र श्रीवास्तव और बिहार राज्य पथ विकास निगम के प्रबंध निदेशक संजय अग्रवाल भी मौजूद थे। निगम की ओर से 1.5 करोड़ के लाभांश का चेक मुख्यमंत्री को सौंपा गया।

## सुशील मोदी ने कहा-निर्माण एजेंसियां यहां कर रही काम

उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इस अवसर पर कहा कि जिस वक्त एनडीए की सरकार 2005 में बिहार आई उस वक्त बिहार में निर्माण एजेंसी काम नहीं करना चाहती थी और आज देश की बड़ी-बड़ी कंपनियां यहां काम कर रही हैं। बंद होने के कगार पर पहुंच चुके बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को न सिर्फ फिर से खड़ा किया गया बल्कि विभागों के अधीन सरकार ने कई नए निगम भी बनाए।

पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने इस मौके पर कहा कि पथ निर्माण विभाग 2020 तक बिहार बड़े पैमाने पर आरओबी का निर्माण कार्य आरंभ करेगा। नए पुलों के निर्माण की भी योजना बना रहे हैं।